FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

ज अदालत —— सहायक कलक्टर मु0 —— मुकाम —— धौलपुर ——

नवान : विनोद बनाम आरती बगैरा

क़स्म मुकद्दमा— 152, 151 सीपीसी — नम्बर 4 सन् 2025

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश हुआ कि न्यायालय में उनवानी प्रकरण विनोद बनाम आरती बगैरा अन्तर्गत 212 आरटीए में निर्णय दिनांक 19.05.2025 को उभयपक्ष की सहमति से उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश दिये गये थे। लेकिन प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में विवादित आराजी खसरा नम्बर 397 के स्थान पर 379 अंकित हो गया। एवं उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित गलत खसरा नम्बर के आधार पर आदेश दिनांक 19.05.2025 में भी आराजी खसरा नम्बर 397 के स्थान पर 379 अंकित हो गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त टंकण भूल को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र एवं मूल प्रकरण दफ्तर से तलब कर अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अवलोकन व मूलवाद के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उभयपक्ष की विवादित आराजी खसरा नम्बर 397 के स्थान पर 379 प्रार्थना पर 212 आरटीए में टंकण भूल से अंकित हो गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152, 153 सीपीसी के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 151 व 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या 42/2025 उनवानी विनोद कुमार बनाम ओमवती के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए तथा निर्णय दिनांक 19.05.2025 में खसरा नम्बर 379 के स्थान पर 397 का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज.)	.